न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 78/2023 तारीख रजू:– 21.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. विक्रम पुत्र श्री शिवचरण	जाति जाट,
2. अजय पुत्र श्री शिवचरण	निवासी चिनायटा
3. मु. ज्वाला बेवा शिवचरण	तहसील सुरोठ,
4. बृजेश पुत्री शिवचरण	जिला करौली (राज.)

5. शेखर पुत्र श्री चिरौंजी माता जाति जाट निवासी शीशवाडा तहसील महुवा जिला दौसा (राज.)

6. रामदयाल पुत्र सोनो माता	जाति जाट निवासी एकोरासी
7. बृजेन्दर पुत्र हरप्यारी माता	तहसील हिन्डौन सिटी ——— सायलान

बनाम

1. पूरन पुत्र कल्लन	जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील सूरौठ
2. सोना पुत्र कल्लन,	जिला करौली राजस्थान ————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :– 15/1/26

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैर सायलान के विरूद्ध उपराक्त उनवानी वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1119 रकवा 0.08 है0, 1120 रकवा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.17 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र के सायलान रिकॉर्डेड कोटीनेन्ट हैं। उक्त भूमि में अज़य, ज्वाला, बृजेश, विक्रम सायलान प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा है, तथा सायल सं. 5 शेखर का 1/6 हिस्सा, सायल सं. 6 रामदयाल का 1/6 हिस्सा, सायल सं. 7 बृजेन्दर का 1/6 हिस्सा है। सायल नम्बर 5, 6, 7 की मातायें मर चुकी हैं, सायल सं. 5, 6, 7 उनके वारिसान हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि को सायलान अपने बुर्ज़ुगों के समय से निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा गत फसल सायलान ने ही बोयी थी, और सायलान ने ही दरोह की थी। इस प्रकार सायलान का प्राइम–फेसी केस बाखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थना पत्र खसरा नं. 1119 व 1120 वाके ग्राम चिनायटा से गैरसायलान का कोई वास्ता कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है, गैरसायलान लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति हैं, वह जबरन लाठी के बल पर सायलान को परेशान कर उनकी कब्जा काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि को जबरन छीनना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 06 में दर्ज किया है कि दिनांक 22.04.2023 को सायल नम्बर 1 व 2 अपनी उक्त भूमि में सूल–बबूल करने साफ सफाई करने गये तो गैर सायलान हाथों में लाठी लेकर खेत पर आ गये और सायलान को सूल–बबूल करने से मना किया तथा आयन्दा खेतों पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। अगर गैर सायलान अपने इरादों में कामयाब हो गये तो हकूक सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद 07 में दर्ज किया है कि उपराक्त परिस्थितियों में गैर सायलान को जरिये टी.आई. पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के ही पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैर सायलान सायलान के खातेदारी की एवं कब्जा काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1119 रकवा 0.08 है0, 1120 रकवा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.17 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ के सायलान के कब्जा काश्त में दखलन्दाज़ी नहीं करें। सायलान को उक्त भूमि को काश्त करने से नहीं रोकें। तथा उक्त भूमि को नाकाबिज काश्त नहीं बनावें। तथा गैर सायलान जबरन बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान व सायलान की फसल को कोई हानि पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.07.2023 को गैरसायलान की ओर से श्री के.के. पुरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 28.07.2025 को गैरसायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश की हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.08 है0, 1120 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी अजय पुत्र शिवचरण हि0 1/8, चिरोंजी पुत्र लौहरे हि0 1/6, ज्वाला पत्नि स्व0 शिवचरण हि0 1/8, बृजेश पुत्री शिवचरण हि0 1/8, विकम पुत्र शिवचरण हि0 1/8, सोनो पुत्री लौहरे हि0 1/8, हरप्यारी पुत्री लौहरे हि0 1/6 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.08 है0, 1120 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ में सायल सं01 ता 4 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं एवं सायल सं05 की माता चिरौंजी, सायल सं6 की माता सोनो एवं सायल सं0 7 की माता हरप्यारी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। सायलान की उक्त विवादित आराजीयात के लगमा गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की अन्य आराजीयात भी होना साबित नहीं होता है कि जिससे सायलान एवं गैरसायलान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात की डौल मेंढ का विवाद हो। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.08 है0, 1120 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)